न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–157/2019 प्रार्थना पत्र
श्री शिवा पिता किशना गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----प्रार्थी

बनाम

1–श्री लादूलाल पिता भेरूलाल बारेठ, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री रतन पिता भुवाना गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्रीमति गीता पत्नि शंभूलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4–श्री रूपा पिता किशना गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5–श्री अमरा पिता छीतर गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
6–श्री नारू पिता रामा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–30.08.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया पटवार इल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 129/2, 130, 131, 132, 133/2, 560/1, 561/1, 562, 770/133 कुल किता 9 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम र्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस रण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना हते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान रमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2019 को पंजीवद्व किया जाकर जरिये म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल ावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई ने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये ने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय मा बावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के हत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 129/2, 130, 131, 132, 133/2, 560/1, 561/1, 562, 770/133 कुल कता 9 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, [redacted] को 600/–रूपये (छः ौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी कये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner